

आदेश व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 415/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
ऑरिक्स लीजिंग एण्ड फाईनेशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड- प्लॉट नं. 94, मरोल कॉ आर्परेटिव
इंडस्ट्रियल एररेट, अंधेरी, कुर्ली रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स घई ऑडियो विजुअल प्राईवेट लिमिटेड,
पता:- शोरूम/दुकान नं. 5, भूतल, प्लॉट नं. बी-2, एस. एस. टॉवर, न्यू कॉलोनी, गोपीनाथ
मार्ग, एम. आई. रोड, जयपुर।
अन्य पता:- दुकान नं. 5 व 6, एस. एस. टॉवर, न्यू कॉलोनी, गोपीनाथ मार्ग, एम. आई. रोड,
जयपुर।
2. मैसर्स रेडियो सेन्टर,
पता:- शोरूम/दुकान नं. 5, भूतल, प्लॉट नं. बी-2, एस. एस. टॉवर, न्यू कॉलोनी, गोपीनाथ
मार्ग, एम. आई. रोड, जयपुर।
अन्य पता:- 6, न्यू कॉलोनी, जयपुर।
3. ब्रिजेन्द्र सिंह,
पता:- शोरूम/दुकान नं. 5, भूतल, प्लॉट नं. बी-2, एस. एस. टॉवर, न्यू कॉलोनी, गोपीनाथ
मार्ग, एम. आई. रोड, जयपुर।
अन्य पता:- फ्लेट नं. 102, बेला प्लाजा, प्लॉट नं. ए-30, तिलक नगर, जवाहर नगर, जयपुर।
अन्य पता:- द्वारा मैसर्स घई ऑडियो विजुअल प्राईवेट लिमिटेड, दुकान नं. 5 व 6, एस. एस.
टॉवर, न्यू कॉलोनी, गोपीनाथ मार्ग, एम. आई. रोड, जयपुर।
4. बलजीत सिंह घई,
पता:- शोरूम/दुकान नं. 5, भूतल, प्लॉट नं. बी-2, एस. एस. टॉवर, न्यू कॉलोनी, गोपीनाथ
मार्ग, एम. आई. रोड, जयपुर।
अन्य पता:- फ्लेट नं. 102, बेला प्लाजा, प्लॉट नं. ए-30, तिलक नगर, जवाहर नगर, जयपुर।
5. इंदरजीत कौर,
पता:- शोरूम/दुकान नं. 5, भूतल, प्लॉट नं. बी-2, एस. एस. टॉवर, न्यू कॉलोनी, गोपीनाथ
मार्ग, एम. आई. रोड, जयपुर।
अन्य पता:- फ्लेट नं. 102, बेला प्लाजा, प्लॉट नं. ए-30, तिलक नगर, जवाहर नगर, जयपुर।
अन्य पता:- द्वारा मैसर्स घई ऑडियो विजुअल प्राईवेट लिमिटेड, दुकान नं. 5 व 6, एस. एस.
टॉवर, न्यू कॉलोनी, गोपीनाथ मार्ग, एम. आई. रोड, जयपुर।



अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002

उपरिथत:-श्री यशवर्द्धन सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

404
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी गैरर्स घई रेडिया सेन्टर के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. बी-2, एस. एस. टॉवर, न्यू कॉलोनी, एम. आई. रोड, नगर चौकड़ी, जयपुर के याउण्ड प्लोर पर स्थित शोरूम नं. 5, कुल क्षेत्रफल 319.72 वर्गफीट को बंधक रख कर दिनांक 28.02.2019 को राशि 51,35,000/- रूपये, दिनांक 03.09.2020 को राशि 09,72,000/- रूपये, कुल राशि 61,07,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.02.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 61,07,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 52,45,296.36/-रूपय की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 21.02.2025 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार



(Handwritten Signature)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी गैरसर्वाई रोन्टर के स्वागित्व की वंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. बी-2, एस. एस. टॉवर, न्यू कॉलोनी, एम. आई. रोड़, नगर चौकड़ी, जयपुर के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित शोरूम नं. 5, कुल क्षेत्रफल 319.72 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर प्राणीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर